(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 04 / 2020

बउनवान

सोनिया कुमारी वैष्णव पत्नी श्री दिलीप वैष्णव, निवासी बामनदेह, तहसील किशनगंज जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज जिला बाराँ।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज के कार्यालय आदेश क्रमांक 2019–20 / 1053–1061 दिनांक 18.03.2020 जिससे अपीलांट को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से पृथक कर दिया गया।

उपस्थित :– 1– श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक (अपीलांट)
2– स्वयं उपस्थित (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.12.2020

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर बाराँ द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 04.11.2020 को अंतरित की गई है। उक्त अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज के कार्यालय आदेश क्रमांक 2019–20 / 1053–1061 दिनांक 18.03.2020 से अप्रसन्न होकर, अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 04.11.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस एवं फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली किये जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की विस्तृत एवं अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौ[illegible] बह[illegible] प्रस्तुत अपील एवं लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हु[illegible] कथन किया कि [illegible]लांट बामनदेह जिला बारां में स्थायी रूप से निवास कर रही [illegible] पत्र, आ[illegible]र्ड ग्राम बामनदेह का हीं बना हुआ है। अपीलांट द्वा[illegible]मनदेह में आंगनबाड़ी [illegible]र्ता के रूप में अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया था और समस्त प्रक्रिया व सभी निर्देशों का पालन करते हुये अपीलांट का चयन दिनांक 28.05.2019 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियमानुसार किया गया था तथा उक्त आदेश पारित होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य प्रशिक्षण दिनांक 02.12.2019 से

दिनांक 02.01.2020 तक प्रशिक्षण केन्द्र टैगोर शोध एवं विकास संस्था झालावाड़ रोड़ अकलेरा में नामांकन करने का आदेश दिनांक 28.11.2019 को दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा उक्त अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र दिनांक 02.01.2020 को प्राप्त किया गया।

अपीलांट द्वारा समस्त चयन प्रक्रिया को विधिवत् रूप से पूर्ण किया है लेकिन उसके विरूद्ध निराधार व झूठी शिकायत के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज द्वारा दिनांक 17.03.2020 को जांच कर दिनांक 18.03.2020 को जांच के आधार पर दस्तावेजों का कूटरचित होना बताया जाकर अपीलांट को बामनदेह के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से सेवा पृथक किये जाने का आदेश पारित किया, जो गलत व निराधार है। जांच अधिकारी द्वारा अपीलांट को न तो किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया, न ही उसे व्यक्तिगत रूप से सुना गया। इस प्रकार अपीलांट को प्राप्त न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये उक्त आदेश पारित किया है, जो उचित नहीं है। इससे पूर्व भी दिनांक 13.02.2020 को पत्र क्रमांक आई.सी.डी.एस./2019–20/930 कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज द्वारा अकारण अपीलांट के सेवा कार्य करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज द्वारा दिनांक 14.02.2020 को जारी किया गया आदेश आई.सी.डी.एस./2019–20/940 से दिनांक 13.02.2020 का आदेश क्रमांक आई.सी.डी.एस./2019–20/930 पर रोक लगा दी गई थी तथा अपीलांट की सेवा को पूर्ववत् निरन्तर कर दिया गया जिसके दस्तावेज भी अपील के साथ संलग्न है।

जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में झूठे व मनगढ़न्त आरोप लगाये गये है, जो गलत है। अपीलांट ने कोई भी दस्तावेज कूटरचना कर नहीं बनाये है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में निवास कर सकता है। नियुक्ति से पूर्व अपीलांट अपने परिवार सहित ग्राम बामनदेह में निवास कर रही थी, ऐसी स्थिति में राशन एवं अन्य सुविधा हेतु आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र नियमानुसार बनाये गये है, जिसमें कोई फर्जकारी नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा न तो अपीलांट से दस्तावेज मांगे गये और न हीं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जांच अधिकारी द्वारा एकतरफा जांच की गई है, जो न्यायसंगत एवं स्वीकार होने योग्य नहीं है।

सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 18.03.2020 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी प्रकार के दण्डादेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का पक्ष सुना जाना आवश्यक है तथा पक्ष सुनने से पहले नोटिस देना आवश्यक है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जांच अधिकारी एवं विपक्षी द्वारा अपीलांट को लिखित एवं मौखिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई और न हीं [illegible] व जांच की आज दिन तक कोई प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित सेवा समाप्ति आदेश विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के पूर्णतः विपरीत है। इसलिये उक्त आदेश दिनांक 18.03.2020 अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपीलांट की रिट याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिक संख्या 10336/2020 बउनवान सोनिया वैष्णव बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय ने श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देश पारित कर एक महीने में निस्तारण करने का आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 को अपास्त कर अपीलांट को आंगनबाड़ी केन्द्र बामनदेह में कार्यकर्ता के पद पर मय पिछला बकाया वेतन व देय अन्य लाभ, परिलाभ सहित बहाल किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बारां के विज्ञप्ति क्रमांक 404 दिनांक 16.01.2019 के द्वारा बामनदेह आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। अपीलांट द्वारा उक्त रिक्त पद हेतु कार्यालय में आवेदन किया गया था, जिसमें अपीलांट द्वारा बामनदेह ग्राम की निवासी होने के प्रमाणस्वरूप आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की गयी थी।

ग्राम पंचायत सुवास की ग्राम सभा दिनांक 26.02.2019 के प्रस्ताव में अपीलांट के नाम का अनुमोदन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में किया गया है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनगंज के द्वारा श्रीमती सोनिया कुमारी वैष्णव पत्नी श्री दिलीप वैष्णव निवासी बामनदेह का प्रशिक्षण में चयन कार्यालय आदेश क्रमांक 46 दिनांक 28.05.2019 के द्वारा किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रशिक्षण चयन आदेश प्राप्ति के पश्चात् विभागीय कार्य प्रशिक्षण दिनांक 02.12.2019 से दिनांक 02.01.2020 तक टैगोर शोध एवं विकास संस्था, झालावाड़ रोड, अकलेरा में प्राप्त किया है। प्रशिक्षण पश्चात् अपीलांट द्वारा नियमानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र बामनदेह पर कार्य प्रारम्भ किया गया था।

अपीलांट की नियुक्ति के बाद सरपंच एवं ग्रामवासी बामनदेह द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी किशनगंज को अपीलांट के ग्राम बामनदेह का निवासी न होकर अन्य ग्राम चन्द्रपुरा की निवासी होने की शिकायत दिनांक 10.02.2020 को की गयी थी। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के द्वारा पत्र क्रमांक 129 दिनांक 11.02.2020 से बाल विकास परियोजना अधिकारी को उक्त शिकायत से अवगत कराया जिसके क्रम में कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 930 दिनांक 13.2.2020 के माध्यम अपीलांट को शिकायत के मध्य नजर मानदेय सेवा में कार्य करने पर रोक लगाई गयी थी। इस शिकायत के क्रम में उपखण्ड अधिकारी किशनगंज द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज को उक्त शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस जांच में श्रीमती सोनिया वैष्णव द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बामनदेह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयनित होना पाया गया एवं चयन प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः भर्ती प्रक्रिया करने की सिफारिश की गयी। दस्तावेजों के कूटरचित पाये जाने के बाद उक्त कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 1053 दिनांक 18.02.2020 द्वारा अपीलांट को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण में श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां को मानदेय सेवा में पुनः बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके क्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनगंज द्वारा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास को अपना स्पष्टीकरण क्रमांक 975 दिनांक 28.02.2020 को भेजा गया था। जबकि प्रशिक्षण चयन आदेश क्रमांक 46 दिनांक 28.05.2019 में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि दस्तावेजों एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी। अतः दस्तावेजों के फर्जी होने की शिकायत की पुष्टि होने पर मानदेय सेवा समाप्त की गयी है। सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 18.03.2020 को जारी किये गये है। अतः दि. 18.03.2020 के बाद अपीलांट द्वारा उच्चाधिकारियों को अपील प्रस्तुत करने के कोई प्रमाण नहीं है। अपील की सुनवाई की सूचना पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 12.11.2020 द्वारा प्राप्त हुई है जिसकी सुनवाई दिनांक 26.11.2020 को नियत है। जिसके क्रम में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत है।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा रहवास से संबंधित कई दस्तावेज पेश किये गये, जिनका सक्षम स्तर पर सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया को सेवा से पृथक करने संबंधी बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2019–20/1053–1061 दिनांक 18.03.2020 को निरस्त किया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बारॉ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीया के रहवास संबंधी दस्तावेजों का पुनः विस्तृत परीक्षण करें और आरक्षण/पदस्थापन की शर्तों एवं विभागीय दिशा–निर्देशों के आधार पर युक्तियुक्त आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested